न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 37 / 2023
जी सी एम एस न0 2023 / 57

दर्ज दिनांक 23.01.2023
निर्णय दिनांक 27.04.2023

इकबाल मोहम्मद बनाम कबीर मोहम्मद आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया के भूमि खसरा न. 225 रकबा 2.4700 है0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढ़ागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.02.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढ़ागौड़जी से प्राप्त पत्र कमांकः– भू.अ. / 2023 / 788 दिनांक 31.03.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31/03/2023 27.04.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 31/3/2023 27.04.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

27/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 27.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

नोट :- आदेश दिनांक 02/06/2023 ... अंतिम निर्णय दिनांक 27/4/2023 के आदेश में ... दिनांक 27/04/2023 के स्थान ... / 31/03/2023 ... किया जाता है।

02/6/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 37 / 2023
जी सी एम एस न0 2023 / 57

दर्ज दिनांक 23.01.2023
निर्णय दिनांक 27.04.2023

इकबाल मोहम्मद बनाम कबीर मोहम्मद आदि

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.04.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.04.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी **को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व** उक्तानुसार **राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज..–............निल............... मुबलिक –............निल................ दाबन.–............... ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 04 सन 2023 को जारी की गई।

27/4/23

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

नोट:- आदेश दिनांक 02/06/2023 के द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 27/04/2023 के आदेश में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27/04/2023 के स्थान पर 31/03/2023 शुद्ध / दुरुस्त किया जाता है।

2/6/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested